517

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक /

I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा/2018/0188

(1)- पूनाबाई पुत्री ग्यादीन नाई
महगुवाँ तहसील अमानगंज

(2)- गुल्ली उर्फ गुलाबबाई पुत्री ग्यादीन

(3)- द्वारका तय तुन ती नाई
निवासी अमानगंज

(4)- मिजाजी तनय सरजू नाई

(5)- नथुआ तनय सरजू नाई

(6)- रोशन तनय गट्टी नाई

(7)- हक्की तनय सरजू नाई

(8)- मिनिया पुत्री सरजू नाई

समस्त निवासीगण ग्राम जैतपुर
तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म०प्र०)

---- आवेदकगण

बनाम

रामकली उर्फ करई वाली पुत्री बल्देवा
नाई निवासी ग्राम जैतपुर तह0
बिजावर, जिला छतरपुर (म0प्र0)
हाल निवासी ग्राम टौराय, तह0
अमानगंज, जिला पन्ना (म0प्र0)

------ अनावेदकगण

2-9-18

श्री राम सेवक शर्मा, अभि
द्वारा आज दि० 5-1-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 17-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 5-1-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (क) नये संशोधन अधि0 2011 म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959 , विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-17 द्वारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर राजस्व प्रकरण क्रमांक 114/अपील /16-17 के निर्णय से दुखित होकर ।

----0----

श्रीमान् जी ,

आवेदक की निगरानी तथ्यों व आधारों पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

(1)- यह कि, प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बर स्थित ग्राम जैतपुरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर (म0प्र0) के सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 की धारा 178 के तहत प्रकरण तहसील न्यायालय में दर्ज हुआ । तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर दिनांक 8-3-17 बटवारे का अन्तिम आदेश पारित किया जिसकी अपील अनावेदक द्वारा उपखण्ड अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो लगभग 75 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी , जिसके सम्बन्ध में धारा 5 अवधि विधान का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसका जबाब भी आवेदकगण का नहीं लिया गया तथा एकपक्षीय रूप से अनावेदक अपीलार्थी का आवेदन धारा 5 अवधि विधान का आवेदन दिनांक 30-12- 2017 को स्वीकार कर लिया गया जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0188

पूनाबाई आदि विरूद्ध रामकली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया उपस्थित । 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 114/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

11.01.19

छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य